14.12-4

राज्य द्वारा एडीपीओ

थाना गोहद से जारी आदेशिका अद्म तामील बापस प्राप्त हो चुकी है। आवेदक नाथू सिंह ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसके पिता तेजसिंह की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी है किन्तु उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, इस कारण से उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति की जमानत दी थी, उसका प्रकरण भी समाप्त हो चुका है। प्रकरण की जानकारी होने पर उपस्थित हुआ है। अतः प्रकरण में कम से कम राशि समह्प्रत जब्त किये जाने का निवेदन किया

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित जमानतदार तेजिसिंह द्वारा अभियुक्तगण वासुदेव एवं मानिसिंह की पुत्र प्रभुदयाल की 2500/— 2500/— रूपए की जमानत प्रकरण क0 60/86 में प्रस्तुत की गई थी, किन्तु नियत दिनांक को अनुपिस्थिति के कारण जमानत निरस्त कर धारा 446 दप्रस की कार्यवाही प्रारम्म की गई।

कालांतर में जमानतदार तेजिसिंहकी मृत्यु हो जाने के संबंध में मृतयु प्रमाण प्रत्र भी प्रस्तुत हो चुहा है। उसके तीन पुत्र लेख किये गये हैं। जमानतदार की मृत्यु हो जाने पर भी उसकी सम्पत्ति भारित रहती है। जमानतदार का पुत्र नाथूसिंह उपस्थित हुआ है और प्रकरण समाप्त कराना चाहता है। चूंकि मूल प्रकरण वर्ष 1986 का लेख किया गया है ऐसे में यह संभावना नहीं है कि उक्त प्रकरण में कार्यवाही शेष रही हो और जमानतदार की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसी दशा में जमानत की राशि में से राशि कम किये जाने हेतु उचित आधार है।

अतः जमानतदार तेजसिंह की सम्पत्ति से 100/- रूपए की राशि जमा किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है एवं शेष राशि मुक्त की जाती है। आवेदक द्वारा बुक क0 6909 पर राशि 100/- रूपए रसीद क0 36 पर जमा की।

प्रकरण संतुष्ठि में समाप्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर अभिलेखागार संवय हेतु प्रेषित है।

(A.K. Gusta)
Judicial Magi state First Class
Gobal distributed (M.R.)

GRPG-106-Form-10-7-17-4,00,000 Forms

2 100/ 54V 100/ 54V 35 KM